भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1202
(जिसका उत्तर शनिवार, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 (शक) को दिया जाना है।)

आर्थिक पैकेज के परिणाम

1202. श्री भर्तृहरि महताबः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हमारी अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को दूर करने के लिए सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को देश में उक्त पैकेज की घोषणा करने के अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हो;

(घ) उक्त पैकेज की घोषणा के पश्चात् विभिन्न उद्योगों/व्यक्तियों को संवितरित ऋणों का बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आर्थिक सहायता वास्तव में लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ख): सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज का विस्तृत ब्यौरा अनुबंध-I में है। पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने हेतु घोषित विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं। ये ज्यादातर दीर्घकालिक उपाय हैं, जिसका परिणाम यथासमय पता चलेगा फिर भी पैकेज के भाग के रूप में मैगरेंट्स को तत्काल राहत के तौर पर दो महीने का खाद्य - अन्न एवं दाल निःशुल्क दिया गया। आगे वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की 3 प्रतिशत की सामान्य ऋण सीमा को बढ़ाकर जीएसडीपी की 2 प्रतिशत की अनिश्चित ऋण सीमा की अनुमति दी गई जो, 4,27,302 करोड़ रुपए के समतुल्य है।

(ग) और (ङ): आगे, 23.05.2020 को घोषित आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, पात्र एमएसएमई और व्यावसायिक उद्यमों को कोविड-19 हुए परिचालन देनदारी की पूर्ति करके व्यवसाय को दोबारा शुरू करने के लिए सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय क्रेडिट और गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी)

योजना के तहत ऋण पर 100 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है। सदस्य ऋणदाता संस्थाओं (एमएल आदि) को 1,19,5,16.69 करोड़ रुपए की कुल ऋण राशि गारंटी प्रदान की गई है। जारी की गई गारंटियों के एमएल आई वार विवरणों को दर्शाने वाला ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

इसके अलावा, 01.06.2020 को पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना की भी घोषणा की गई है। 24.03.2020 को या उससे पहले शहरी इलाके में बिक्री करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को 12 मासिक किश्तों में चुकाने योग्य 10,000 रुपए की कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने हेतु 10.09.2020 तक 3.68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण मंजूर किया गया, जिसमें से 99,000 लाभार्थियों को ऋण बांटा जा चुका है।

लाभार्थियों को सहायता सुनिश्चित करने हेतु बैंक उचित देयता एवं सुरक्षा उपायों का पालन करती है। आत्मनिर्भर भारत और पीएमजीकेवाई के तहत दी गई लाभ का राज्य-वार दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध-III** पर है।

*****

अनुबंध- I

दिनांक 19 सितंबर, 2020 के उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1202 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज

क. दिनांक 13 मई, 2020 को की गई घोषणांए

1. एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए ₹3 लाख करोड़ की आकस्मिक कार्यशील पूंजी सुविधा।
2. भारग्रस्त एमएसएमई के लिए ₹20,000 करोड़ का गौण ऋण।
3. एमएसएमई निधियों की निधि के माध्यम से ₹50,000 करोड़ का इक्विटी निवेश।
4. एमएसएमई की नई परिभाषा तथा एमएसएमई के लिए अन्य उपाय।
5. ₹200 करोड़ की सरकारी निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं।
6. व्यवसाय और संगठित कामगारों के लिए और 3 माह यानि जून, जुलाई और अगस्त, 2020 के वेतन महीनों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का विस्तार।
7. ईपीएफओ में शामिल सभी संस्थापनाओं के लिए अगले 3 महीनों के लिए नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों क लिए ईपीएफ अंशदान 3 महीनों के लिए 12% से घटाकर 10% किया जाना है।
8. एमबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई के लिए ₹30,000 की विशेष योजना।
9. एनबीएफसी/एमएफआई के लिए 45,000 करोड़ रु. की आंशिक साख गारंटी योजना 2.0
10. डिस्कोम्स के लिए 90 हजार करोड़ रु. का नकद अंतरण।
11. ईपीसी और रियायत करारों सहित संविदात्मक बाध्यताओं को पूरा करने के लिए छह माह तक का विस्तार देते हुए संविदाकारों को राहत।
12. रियल एस्टेट परियोजनाओं को रियायत, सभी पंजीकृत परियोजना का पंजीकरण एवं समाप्ति तिथि को छः माह तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
13. धर्मार्थ न्यासों, गैर-कॉरपोरेट व्यवसायों एवं व्यावसायियों को लंबित आयकर वापसी यथाशीर्घ जारी करते हुए व्यवसाय को कर राहत।
14. स्रोत पर कर कटौती एवं स्रोत पर कर संग्रहण दरों में कटौती पर वित्तीय वर्ष 20-21 के बची हुई अवधि पर 25 प्रतिशत तक कर की दरों में कटौती।
15. कर संबंधित विभिन्न अनुपालनों की देय तिथि को बढ़ा दिया गया है।

(ख) दिनांक 14 मई, 2020 को की गई घोषणाएं

16. दो महीने के लिए प्रवासियों को मुफ्त खाद्य अनाज की आपूर्ति।
17. प्रौद्योगिकी प्रणाली की सहायता से प्रवासियों को भारत में किसी भी उचित दर दुकान से मार्च 2021 तक सा.वि.प्र. (राशन) की उपलब्धता, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड।
18. प्रवासी कामगारों एवं शहरी गरीबों के लिए सस्ता किराया आवासीय परिसर योजना को लागू किया जाएगा।
19. शिशु मुद्रा कर्जदारों के लिए 12 माह तक 2 प्रतिशत ब्याज आर्थिक सहायता-1500 करोड़ रु. की राहत।
20. सड़क विक्रेताओं के लिए 5000 करोड़ रु. की ऋण सुविधा।
21. आवासन क्षेत्र एवं मध्यम आय वर्ग के लिए प्रोत्साहन हेतु पीएमएवाई (शहरी) के तहत 70,000 करोड़ रु. की एमआईजी के लिए ऋण संबंध सब्सिडी योजना।
22. सीएएमपीए निधियों का प्रयोग करते हुए रोजगार सृजन के लिए 6000 करोड़ रु.।
23. नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए 30,000 करोड़ रु. का अतिरिक्त आपातकाल कार्यशील पूंजी।
24. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 2.5 करोड़ किसानों को रियायती ऋण प्रोत्साहन के लिए 2 लाख करोड़।

(ग) दिनांक 15 मई, 2020 को की गई घोषणाएं

25. किसानों के लिए फार्म-गेट हेतु कृषि अवसंरचना निधि के लिए 1 लाख करोड़ रुपए।
26. सूक्ष्म खाद्य उद्यमों (एमएफई) के औपचारीकरण के लिए 10,000 करोड़ रु. की योजना।
27. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के माध्यम से मछुवारों के लिए 20,000 करोड़ रु.।
28. राष्ट्रीय पशु बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम।
29. पशु पालन अवसंरचना विकास निधि की स्थापना के लिए 15,000 करोड़।
30. शाकीय खेती संवर्धन 4000 करोड़ रु. का परिव्यय।
31. मधुमक्खी पालन पहल-500 करोड़ रु.।
32. 'टॉप' से कुल तक-500 करोड़ रु.।
33. कृषि क्षेत्र के लिए शासकीय एवं प्रशासनिक सुधारों के लिए उपाय।

(i) किसानों के लिए बेहतर कीमत की पहुंच के लिए आवश्यक उत्पाद अधिनियम में संशोधन।
(ii) किसानों को विपणन विकल्प देने के लिए कृषि विपणन सुधार।
(iii) कृषि उत्पाद कीमत गुणवत्ता आश्वासन।

घ. दिनांक 16 मई, 2020 को की गई घोषणाएं

34. कोयला क्षेत्र में व्यावसायिक खनन की शुरूआत।
35. कोयला क्षेत्र में विविधकृत अवसर।
36. कोयला क्षेत्र में उदारीकृत व्यवस्था।
37. खनिज क्षेत्र में निजी निवेश एवं नीतिगत सुधारों को बढ़ाना।
38. रक्षा उत्पादन में स्वावलंबन को बढ़ाना।
39. रक्षा उत्पादन में नीतिगत सुधार।
40. नागर विमानन के लिए कार्यदक्ष एयरस्पेस प्रबंधन।
41. पीपीपी के माध्यम से विश्वस्तरीय अधिक हवाई अड्डे।
42. वायुयान रखरखाव, मरम्मत और जांच (एमआरओ) के लिए भारत को वैश्विक केंद्र बनाना।
43. विद्युत क्षेत्र में दर सूची नीति सुधार, केंद्र शासित प्रदेशों में वितरण का निजीकरण।
44. सामाजिक क्षेत्र में पुनरुज्जीवित व्यवहार्यता अंतर निधियन योजना के माध्यम से निजी क्षेत्र निवेश को प्रोत्साहन।
45. अंतरिक्ष क्रियाकलापों में निजी सहभागिता प्रोत्साहन।
46. परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सुधार।

ङ. दिनांक 17 मई, 2020 को की गई घोषणाएं

47. रोजगार प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एमजीएनआरईजीएस के लिए आबंटन में 40,000 करोड़ की वृद्धि।
48. भारत को भविष्य की महामारियों के लिए तैयार करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा अन्य स्वास्थ्य सुधार में निवेश बढ़ाना।
49. कोविड के पश्चात इक्विटी के साथ प्रौद्योगिकी से प्रेरित शिक्षा।
50. आईबीसी संबंधित उपायों के माध्यम से व्यापार करने की सुगमता को अधिक बढ़ावा देना।
51. कंपनी अधिनियम संबंधी चूकों का वैधीकरण
52. कारपोरेट के लिए व्यापार करने की सुगमता।
53. एक नये, आत्मनिर्भर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग नीति।
54. केवल 2020-21 के लिए राज्यों की ऋण सीमा 3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत बढ़ाना एवं राज्य स्तरीय सुधारों को प्रोत्साहन।

******

अनुलग्नक - II

19.09.2020 को जवाब के लिए एलएसयूएसक्यू नंबर 1202 को भागों (घ) और (ङ) के जवाब में संदर्भित वक्तव्य

इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) - एमएलआई - वार स्थिति 16.09.2020 तक

(राशि: करोड़ रुपए में)

एमएलआई का नाम	रकम	एमएलआई का नाम	रकम	एमएलआई का नाम	रकम
अडानी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड	0.36	एचडीबी वित्तीय सेवाएँ लि	41.84	पंजाब ग्रामीण बैंक	0.16
आदित्य बिरला वित्त लिमिटेड	670.88	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	16737.72	पंजाब नेशनल बैंक	8173.15
आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	78.06	हीरो फिनक्रोप लिमिटेड	240.99	इंद्रधनुष डिजिटल सेवा प्राइवेट लिमिटेड	2.07
आंविट अंतिम निजी लिमिटेड	20.44	हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	5.67	राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	3.50
आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड	12.29	हिमालय प्रधान ग्राम सभा	11.48	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक	6.04
एपीएसी वित्तीय सेवाएँ प्राइवेट लिमिटेड	9.34	हिन्दूजा लीलैंड फाइनेंस लिमिटेड	204.86	आरबीएल बैंक लिमिटेड	350.24
अरुणांचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	3.58	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	9305.56	सप्तगिरी ग्रामीण बैंक	0.04
असम ग्राम संयम बैंक	15.92	आईडीबीआई बैंक लि	786.47	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक	1.08
ए.यू. लघु वित्त बैंक लिमिटेड	333.85	आईडीएफसी बैंक लिमिटेड	1451.60	सुरेशरा ग्रामीण बैंक	65.45
औक्सिलो फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड	9.77	आईआईएफएल गृह वित्त लिमिटेड	54.64	एसवीएफसी वित्त निजी लिमिटेड	0.54
अवान्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	75.89	सम्मिलित वित्तीय सेवा लिमिटेड	51.51	श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	12.35
एक्सिस बैंक लिमिटेड	5406.11	इंडिया इंफोलाइन फाइनेंस लिमिटेड	71.82	श्रीराम परिवहन वित्त कंपनी लिमिटेड	2873.28
एक्सिस वित्त लिमिटेड	72.81	इंडियाबुल कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड	2.28	सीमेंस वित्तीय सेवाएँ निजी लिमिटेड	66.31
बजाज वित्त लिमिटेड	221.89	इंडिया हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	2.49	लघु उद्योग भारत के विकास बैंक	587.57
बजाज हाउसिंग वित्त लिमिटेड	34.21	भारतीय बैंक	2666.91	एसआरईआई उपकरण वित्त लिमिटेड	12.12
बंगलिया ग्रामीण डाक बंगला	34.65	भारतीय प्रवासी बैंक	910.32	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	2346.41
बारकोड का बैंक	4245.67	इंडियाशेल्टर वित्त निगम लिमिटेड	1.05	भारतीय स्टेट बैंक	15133.31
बैंक ऑफ इंडिया	2897.09	इंडिया कैपिटल फाइनेंस लि	27.32	सुंदरम वित्त लिमिटेड	121.78
महराष्ट्र का बैंक	161.40	इंडसइंड बैंक लिमिटेड	1292.21	तमिलाडु मोर्कंटाइल बैंक	1094.81
बड़ोदा राजस्थानी केएसहेट्रीया ग्राम योजना	58.23	आईआरईपी क्रेडिट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड	1.17	टाटा कैपिटल फाइनेंस सर्विसेज लि	351.14
केनरा बैंक	6820.94	जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक	42.13	टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	19.65
राजधानी इंडिया लिमिटेड वित्त	1.54	जैन संस लिमिटेड सीमित करें	2.73	टाटा मोटर फाइनेंस लि	847.82
राजधानी लघु वित्त बैंक लिमिटेड	81.53	जन लघु वित्त बैंक	41.72	टाटा मोटर वित्त समाधान लिमिटेड	164.57
कैपरी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड	10.48	जहरखण्ड राजवंश ग्राम बैंक	13.25	फेडरल बैंक लि	1852.31

कैस्पियन आयात निवेश प्राइवेट लिमिटेड	17.37	जेएम वित्तीय गृह ऋण लिमिटेड	10.08	हांगकांग और शंघाई निगम लिमिटेड, भारत	16.60
भारत का केन्द्रीय बैंक	2312.21	जेएम वित्तीय उत्पादों लिमिटेड	8.83	जम्मू और कश्मीर बैंक लि	1577.32
सेंट्रम वित्तीय सर्विसेज लिमिटेड	6.72	कर्नाटक बैंक	967.44	करूर वैश्य बैंक लि	1289.54
छत्तीसगढ़ी राजकीय ग्रामीण बैंक	0.35	कर्नाटका ग्रामीण बैंक	0.03	लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड	201.23
चोलामंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड	124.66	केरला ग्राम बैंक	8.16	नैनीताल बैंक लिमिटेड	43.91
शहर यूनिअन बैंक लि	1291.19	कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड	9089.49	साउथ इंडियन बैंक लि	2561.20
सीएलआईएक्स राजधानी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	75.34	कोटक महिंद्रा लिमिटेड निवेश	35.44	टूरिज़म फांइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि	107.74
सीएलआईएक्स वित्त इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	17.72	कोटक महिंद्रा प्राइवेट लिमिटेड	65.04	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	4.13
सीएसबी बैंक लि	67.45	एल एंड टी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	72.91	यूको बैंक	819.81
सीएसएल वित्त लिमिटेड	8.95	लाईफिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	0.07	यूजीआरओ राजधानी लिमिटेड	32.37
दक्शिन बिहर गृह योजना	11.82	मदनचैन ग्रामीण बैंक	0.03	उज्जीवन लघु वित्त बैंक	3.86
डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड	11.94	मैग्मा फिनक्रॉप लिमिटेड	142.75	भारत की यूनिअन बैंक	4338.35
डीसीबी बैंक लिमिटेड	1660.89	महिंद्रा और महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिट	24.59	उत्कल ग्रामीण बैंक	4.57
ड्यूश बैंक एजी	878.52	मणिपुर रूरल बैंक	0.03	उत्कर्ष लघु वित्त बैंक लिमिटेड	0.92
धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड	44.22	मास वित्तीय सेवा लिमिटेड	4.35	उततर बिहरर ग्राम बंक	0.45
डिजीक्रेडिट वित्त प्राइवेट लिमिटेड	0.52	मेघालय रूरल बैंक	4.73	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	19.28
ईसीएल वित्त लिमिटेड	3.89	मनीवाइस वित्तीय सेवा निजी लिमिटेड	1.49	दृश्य होल्डिंग्स और वित्त प्राइवेट लिमिटेड	13.33
एडलवाइस खुदरा वित्त लिमिटेड	17.66	उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लि	15.99	विवृति कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड	2.28
इलेक्ट्रॉनिका वित्त लिमिटेड	8.21	ओडिशा ग्राम बैंक	12.46	एक्सैंडर वित्त निजी लिमिटेड	23.95
एलाक्काई देहाती बैंक	9.03	ओरिक्स पट्टे और वित्तीय सेवा इंडिया लिमिटेड	40.26	यस बैंक लि	1131.74
फेड बैंक वित्तीय सेवा लिमिटेड	21.68	पछिम बैंगरा ग्राम बंक	18.40		
पूरा वित्त निजी लिमिटेड	0.92	व्यावसायिक राजधानी निजी	30.19		
ग्रामीण आयात निवेश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2.50	पंजाब एंड सिंध बैंक	867.37		

अनुबंध-III

19.09.2020 के लिए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1202 के उत्तर से संदर्भित विवरण

	ईसीएलजीएस के तहत प्रदत्त ऋणों की राज्यवार ब्यौरा (16.09.2020 के अनुसार)		आत्मनिर्भर भारत (एएनबी) योजना के तहत राज्य/यूटी को खाद्य अन्न की आपूर्ति (एमटी में) (07.09.2020 के अनुसार)		आत्मनिर्भर भारत (एएनबी) योजना के तहत राज्य/यूटी को चने की आपूर्ति (एमटी में) (07.09.2020 के अनुसार)	
	राज्य/यूटी	दी गई राशि (करोड़ रुपए में)	राज्य/यूटी द्वारा कुल आबंटन (मई से अगस्त, 2020)	लाभार्थी (जून 2020)^*	राज्य/यूटी द्वारा कुल आबंटन	लाभार्थी
1.	अंडमान और निकोवार	70.80	58	4,760	8.55	8554
2.	आंध्र प्रदेश	4741.94	7	810	0.00	0
3.	अरुणांचल प्रदेश	38.54	583	5,616	33.73	33730
4.	असम	1253.51	15712	13,98,000	637.95	637953
5.	बिहार	1990.15	86450	86,44,972	3151.00	3151000
6.	चंडीगढ	479.76	90	8,968	7.06	7056
7.	छत्तीसगढ	1951.89	1258	1,26,950	169.57	169573
8.	दादरा और नागर हवेली	102.93	164	16,220	11.70	11700
9.	दमन और द्वीप	83.31				
10.	दिल्ली	6381.74	4544	3,29,077	351.10	351100
11.	गोवा	357.52	17	1,683	1.60	1600
12.	गुजरात	12005.92	266	43,316	19.00	19000
13.	हरियाणा	5834.02	7888	8,40,660	465.06	465060
14.	हिमाचल प्रदेश	912.61	1705	1,70,500	111.70	111700
15.	जम्मू और कश्मीर	1597.88	1900	1,72,400	131.08	131080

16.	झारखंड	1511.67	717	82,224	1057.91	1057905
17.	कर्नाटक	7249.99	11613	18,32,432	2055.38	2055380
18.	केरल	4886.81	960	95,985	186.03	186030
19.	लद्दाख	27.14	33	3,274	0.00	0
20.	लक्षद्वीप	1.62	14	1,394	4.53	4530
21.	मध्य प्रदेश	4564.56	1774	1,65,178	157.50	157500
22.	महाराष्ट्र	14364.30	17294	8,98,200	759.12	759120
23.	मणिपुर	70.01	676	67,600	82.35	82348
24.	मेघालय	81.36	2099	1,49,800	81.73	81734
25.	मिजोरम	34.80	236	19,900	29.75	29750
26.	नागालैंड	45.68	1405	74,670	56.00	56000
27.	ओडिशा	2345.10	390	20,000	15.13	15130
28.	पुदुचेरी	212.39	73	7,340	15.00	15000
29.	पंजाब	4931.37	7193	7,19,300	980.00	980000
30.	राजस्थान	7490.01	42478	42,47,800	2003.00	2003000
31.	सिक्किम	46.64	315	15,798	10.03	10031
32.	तमिलनाडु	12445.58	2480	30,000	34.00	34000
33.	तेलंगाना	5114.29	177	17,213	34.46	34460
34.	त्रिपुरा	137.23	277	13,368	20.73	20730
35.	उत्तर प्रदेश	8907.38	11809	7,59,106	1057.95	1057953
36.	उत्तराखंड	1366.28	156	11,665	30.90	30900
37.	पश्चिम बंगाल	5899.95	43354	39,30,856	2646.76	2646760
	कुल	**119536.68**	**266164.053**	**24927034.8^***	**16417.37**	**16417367**

^* इसमें कवर किए गए लोगों की संख्या प्रत्येक माह में एक ही है। मई से अगस्त, 2020 के बीच जून में सबसे ज्यादा लोगों को कवर किया गया। इसलिए इसको लिया गया है।

		कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए बीमा योजना	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना - एनएफएसए के तहत पहचाने जाने वाले व्यक्तियों की संख्या (लाख में) - प्रति माह वितरण के लिए (अप्रैल से नवंबर 2020)	लाभार्थियों को खाद्यान्न का कुल वितरण (मीट्रिक में) अप्रैल 2020 से 7.9.2020 तक	दलहन- एनएफएसए के तहत पहचाने जाने वाले व्यक्तियों की संख्या (लाख में) - प्रति माह वितरण के लिए (अप्रैल से नवंबर 2020)	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (मीट्रिक टन में) द्वारा वितरित दलहन की मात्रा-अप्रैल 2020 से 7.9.2020 तक	वितरित किए गए सिलेंडर की संख्या - पीएमयूवाई अप्रैल से अगस्त, 2020
संख्या	राज्य	दावा खारिज कर दिया	कुल (एएवाई एंड पीएचएच)				
1.	अंडमान और निकोबार		0.61	1342	0.16	49.05	20,769
2.	आंध्र प्रदेश	4	268.23	635928.54	90.28	45018.62	7,33,230
3.	अरुणांचल प्रदेश	1	8.21	17215.42	1.77	571.561	65,998
4.	असम	2	251.53	506098.035	57.96	19614.09	42,61 952
5.	बिहार	1	857.12	1727839.033	168.85	54228.87	1,44,39,342
6.	चंडीगढ़		2.75	3793.04	0.64	228.43	246
7.	छत्तीसगढ़	1	200.77	506390.755	51.5	22616.74	31,71,197
8.	दादरा और नागर हवेली, दमन और द्वीप		1.73- डी & एनएच- काइंड 0.36 – डी& एनएच-केश दमन और द्वीप- 0.76	6312.902	0.65	391.44	22,600
9.	दिल्ली	1	72.73	166963.0656	17.54	6033.64	1,94, 869
10.	गोवा		5.32	13011.507	1.43	644.103	2,024

11.	गुजरात	8	382.54	801111.37	65.63	20090.95	44,31,673
12.	हरियाणा		126.49	285128.669	27	10916	14,90,015
13.	हिमाचल प्रदेश		28.64	63592.905	6.84	3276.5	2,85,947
14.	जम्मू और कश्मीर		72.05	169195.6	16.45	8984.09	18,36,471
15.	झारखंड		263.70	515408.688	57.12	24040.22	47,15,844
16.	कर्नाटक	3	401.93	977417.15	127.23	38168.19	54,48,255
17.	केरल	3	154.80	366701.602	37.38	12609.49	4,78,410
18.	लद्दाख		1.44	2505	0.29	87.65	17.039
19.	लक्षद्वीप		0.22	453.12	0.05156	20.18	460
20.	मध्य प्रदेश	1	546.42	1062037.658	116.85	42791.4	98,07,942
21.	महाराष्ट्र	13	700.17	1535041.139	167.05	40024.13	73,24,831
22.	मणिपुर		24.57	61346.86	5.88	2131.416	2,51,990
23.	मेघालय		21.46	51401	4.22	1722.802	1,47,750
24.	मिजोरम		6.68	15351.881	1.55	807.261	51,690
25.	नागालैंड		14.05	33585.086	2.85	1660.849	75,654
26.	ओडिशा		323.60	748141.347	92.85	40335.4	77,26,387
27.	पुदुचेरी		6.28	9142.06	1.79	535.5	30, 613
28.	पंजाब	1	141.45	199011.3	35.96	10643.24	24,33,890
29.	राजस्थान	4	446.62	1159894.144	111.85	36331.41	1,01,62,602
30.	सिक्किम		3.79	6852.625	0.94	317.964	21,055
31.	तमिलनाडु	4	357.34	829049.154	111.08	33323.76	58,28,658
32.	तेलंगाना	2	191.62	481824.113	53.29	14144.38	17,65,085
33.	त्रिपुरा		24.83	62051.427	9.2	1942.245	3,79,414
34.	उत्तर प्रदेश	5	1520.59	3498398.415	352.45	139634.3	2,58,12,057
35.	उत्तराखंड		61.96	145939.01	13.46	5544.27	7,29,948
36.	पश्चिम बंगाल	3	601.84	1219345.34	145.29	42058	1,65,21,610
	TOTAL	57	**8095.19**	17884820.96	**1,955**	681538.2	**13,06,87,807**